तारीख हुक्म	गंगाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, बालेसर) सू.अ.अपील संख्या 144/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.22	अपीलार्थी गंगाराम निवासी आगोलाई तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2022 में उसके द्वारा (1) पटवार मंडल आगोलाई के ग्राम देवगढ़ में भारतमाला के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किन–किन खसरों में से कितनी कितनी जमीन अवाप्त की गई, की जमाबंदी नकल की प्रतिलिपि (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, बालेसर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, बालेसर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	